प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'बत्तीस'

[15/3/2018]

प्रश्न सं. [क्र. 3068]

ता० प्रश्न क्र. 3068

परिशिष्ट-अ

क्र.	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	पदस्थ ग्राम पंचायत सचिव का नाम	पदस्थी विवरण
1	मझौली	कांपा	1. श्री संतोष जैन	वर्ष 1995 से 13.08.2014
			2. श्री संजय असाटी	14.08.2014 से वर्तमान तक
2		इंद्राना	1. श्री संजय असाटी	08.12.2009 से 13.08.2014 तक
			2. श्री संतोष जैन	14.08.2014 से 12.07.2017 तक एवं 17.10.2017 से वर्तमान तक
			3. श्री राजेश पटेल	24.07.2017 से 16.10.2017 एवं 10.11.2017 से वर्तमान तक

परिशिष्ट-ब

मध्य प्रदेश विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 3068

क्र.	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत दिनांक	शिकायत का विषय	सचिव का नाम जिसके कार्यकाल की शिकायत की गई।	ग्राम पंचायत
1	श्री नीलेश अवस्थी विधायक, विधानसभा क्षेत्र मझौली	02.08.2017	ग्राम पंचायत इंद्राना में 14 वां वित्त से निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता की जाँच बाबत।	श्री संतोष जैन	इंद्राना
2	श्री नीलेश अवस्थी विधायक, विधानसभा क्षेत्र मझौली	02.11.2018	श्री संतोष जैन, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत इंद्राना द्वारा अवैधनिक तरीके से शासकीय राशि का आहरण का गबन करने के संबंध में जॉच कर कार्यवाही करने बाबत।	श्री संतोष जैन	इंद्राना

तारांकित प्रश्न क्रमांक 3068

प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित शिकायत की जाचं कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं परियोजना अधिकारी मनरेगा द्वारा की गई। जांच में पाया गया कि श्री संतोष जैन सचिव ग्राम पंचायत इंद्राना का स्थानांतरण पंचायत राज संचालनालय म.प्र. भोपाल के आदेश दिनांक 06.11.2017 के द्वारा ग्राम पंचायत देवरी रजवई किया गया, जिसके तारतम्य में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मझौली ने अपने पत्र दिनांक 09.11.2017 के द्वारा श्री संतोष जैन सचिव ग्राम पंचायत इंद्राना एवं श्री राजेश पटेल सचिव देवरी रजवई को स्थानांतरित ग्राम पंचायत के पदभार ग्रहण करने के आदेश दिये गये। जिसके तारतम्य में श्री राजेश पटेल सचिव ग्राम पंचायत देवरी रजवई द्वारा दिनांक 10.11.2017 को अपनी उपस्थिति ग्राम पंचायत इंद्राना में दी गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मझौली के आदेश दिनांक 09.11.2017 श्री संतोष जैन द्वारा दिनांक 12.11.2017 में प्राप्त किया गया। परंतु श्री संतोष जैन द्वारा उक्त आदेश के बाद भी ग्राम पंचायत इंद्राना का सचिव का प्रभार अपने पास रखा गया। श्री संतोष जैन सचिव द्वारा शासन के स्थानांतरण आदेश क्रमांक 13347 दिनांक 06.11.2017 के विरूद्ध मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की गई। जिसमें मान. उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा दिनांक 16.11.2017 में यथास्थिति के आदेश पारित किये गये। फलस्वरूप श्री संतोष जैन ग्राम पंचायत इंद्राना में आज भी सचिव पद पर पदस्थ हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मझौली से प्राप्त उत्तर एवं कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जबलपुर तथा परियोजना अधिकारी मनरेगा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मझौली के पत्र दिनांक 09.11.2017 द्वारा स्थानांतरित पंचायत में पदभार ग्रहण न करने एवं दिनांक 10.11.2017 को श्री राजेश पटेल के ग्राम पंचायत इंद्राना में उपस्थिति प्रस्तुत करने पर श्री राजेश पटैल सचिव को प्रभार न सौंपने तथा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के यथा स्थिति के पारित आदेश दिनांक 16.11.2017 के निर्णय के मध्य श्री संतोष जैन सचिव द्वारा अनाधिकृत रूप से दिनांक 09.11.2017 को रूपये 244407 एवं दिनांक 10.11.2017 को 65964.76 रूपये आहरित किये जाने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जबलपुर द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 92 के तहत प्रकरण क्रमांक 18/अ–89/19/17–18 दिनांक 01.03.2018 पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रचलित है। प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका प्रकरण प्रचलित होने से उस दोषी सचिव श्री संतोष जैन के निलंबन की कार्यवाही नहीं की गई है।